घर बैठे एफआईआर का दावा फेलः नाम मात्र के मामलों में एफआईआर

ऑनलाइन शिकायत के बाद थाने में सत्यापन की अनिवार्यता बनी बाधा

दो साल मे 1612 ई-एफआईआर आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में आम नागरिकों को घर बैठे एफआईआर दर्ज कराने का दावा करने वाली ई-एफआईआर व्यवस्था जमीन पर अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के 38 थानों में वर्ष 2024 और 2025 के दौरान कुल 1612 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन बड़ी संख्या में शिकायतें प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही अटक गईं।

डिजिटल सुविधा के बावजूद लोगों को थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2024 में 830 और वर्ष 2025 में 782 ई-एफआईआर आवेदन दर्ज किए गए। हालांकि इन आवेदनों में से कितने मामलों में वास्तविक एफआईआर दर्ज हुई, इसका विस्तृत आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में आवेदक निर्धारित समय के भीतर दस्तावेज सत्यापन नहीं करा पाते, जिसके कारण आवेदन स्वतः निरस्त हो जाते हैं।

सुधार के लिए ये कदम जरूरी

विशेषज्ञों और नागरिकों ने ई-एफआईआर व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

- *वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा शुरू की जाए*
- *ई-साइन और डिजिटल दस्तावेज प्रमाणीकरण को मान्यता मिले।*
- *ई-एफआईआर के निपटान को थानेदारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट और प्रदर्शन मूल्यांकन से जोड़ा जाए।*
- *पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाए।*
- *गंभीर अपराधों में भी ई-जीरो एफआईआर की सुविधा का विस्तार किया जाए।*

ऑनलाइन शिकायत, फिर भी थाने की दौड़,ई-एफआईआर व्यवस्था में शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को तीन दिन के भीतर संबंधित थाने पहुंचकर पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है। यदि 30 दिनों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो आवेदन स्वतः समाप्त माना जाता है।

यही शर्त नागरिकों की सबसे बड़ी शिकायत बन गई है। लोगों का कहना है कि जब अंततः थाने जाना ही पड़ता है तो ऑनलाइन आवेदन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। कई मामलों में आवेदक प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में समय सीमा भी चूक जाते हैं।

थानों में नहीं दिख रही गंभीरताः सूत्रों के अनुसार कई थानों में ई-एफआईआर आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। स्टाफ की कमी, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव और पारंपरिक कार्यप्रणाली के कारण ऑनलाइन शिकायतों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही। परिणामस्वरूप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज शिकायतें कार्रवाई की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं। पुलिस व्यवस्था से जुड़े जानकारों का कहना है कि जब तक प्रत्येक थाने में ई-एफआईआर के लिए जवाबदेह नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाएंगे, तब तक इस व्यवस्था का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी भी कमः ई-एफआईआर व्यवस्था को महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और तकनीकी माध्यमों का उपयोग करने वाले नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक माना गया था। लेकिन उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2025 में केवल एक महिला और 102 वरिष्ठ नागरिकों ने इस सुविधा का उपयोग किया। इससे स्पष्ट है कि व्यवस्था आम लोगों के बीच अभी भी लोकप्रिय नहीं हो पाई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जागरूकता की कमी और जटिल प्रक्रिया इसके प्रमुख कारण हैं।

सवाल अभी भी कायमः डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग के दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि शिकायतकर्ता को ऑनलाइन आवेदन के बाद भी थाने के चक्कर लगाने पड़ें, तो ई-एफआईआर और पारंपरिक एफआईआर में अंतर क्या रह जाता है? जब तक प्रक्रिया पूरी तरह नागरिक-अनुकूल नहीं बनेगी, तब तक घर बैठे एफआईआर का सपना कागजों तक ही सीमित रहने का खतरा बना रहेगा।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल से पद्मश्री से सम्मानित मप्र जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने लोकभवन में सौजन्य भेंट की।

पद्मश्री सम्मान पर मोहन नागर का परिषद में अभिनंदन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष एवं पर्यावरणविद मोहन नागर को पद्मश्री सम्मान मिलने पर परिषद के राज्य कार्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।

इस अवसर पर श्री नागर ने कहा कि यह सम्मान उनके व्यक्तिगत प्रयासों का नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा में जुटे सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण का सम्मान है। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता का भाव ही पर्यावरण संकट से बचाने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉ. बकुल लाड ने कहा कि इस सम्मान से परिषद की प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ी हैं।

मुख्यमंत्री ने कैप्टन पांडेय की जयंती पर किया नमन

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडेय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि कैप्टन पांडेय ने अद्वितीय पराक्रम से कारगिल युद्ध में शत्रु सेना से खालूबार मोर्चे को बचाते हुए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। साहस और पराक्रम से भरा कैप्टन पांडेय का जीवन युवाओं को देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।

स्कूली पाठ्यक्रम में नशे के दुष्परिणाम और ...

दिव्यांगता पर जागरूकता शामिल हो : डॉ. यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों और दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए इन विषयों को स्कूली और महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

उन्होंने सभी शासकीय भवनों को दिव्यांगजन के लिए बाधारहित बनाने तथा निजी क्षेत्र में उनके रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मंत्री नारायण सिंह

कुशवाहा, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डॉ. यादव ने कहा कि नशामुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करना होगा।

किशोरों और युवाओं को समय रहते नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देना आवश्यक है, ताकि समाज में नशे के खिलाफ सकारात्मक वातावरण तैयार हो सके। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री सेवा पखवाड़ा अभियान-2025 के तहत प्रदेश में दिव्यांगजनों को 6 करोड़ 52 लाख रुपये के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। विशेष विद्यालयों में 168 स्मार्ट क्लास स्थापित की गई हैं। नशामुक्ति भारत अभियान के तहत 12 हजार स्वयंसेवक जनजागरूकता का कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न संस्थानों के साथ एमओयू किए गए हैं, जिनके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

वृद्धजनों की बेहतर देखभाल के लिए प्रदेश में केयर-गिवर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 54 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जरूरतमंदों के लिए सामाजिक सहयोग और जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया।

वेयरहाउसिंग कर्मचारियों की पेंशन राशि दिलाने की मांग

नप्र, भोपाल : एमपी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल बाजपेई ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक कर्मचारियों की विधवाओं की लंबित पेंशन राशि दिलाने की मांग की है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में विवाद के चलते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से संचालित पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। उस समय केवल 152 कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा था, जिनमें से अब 48 कर्मचारियों का निधन हो चुका है। श्री बाजपेई ने कहा कि पेंशन नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारियों की शेष राशि उनकी विधवाओं को मिलनी चाहिए, लेकिन बार-बार मांग के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 32 प्रतिशत राशि भी एलआईसी द्वारा रोकी गई है। कर्मचारी संघ ने वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन प्रबंधन से हस्तक्षेप कर सभी लंबित भुगतान शीघ्र दिलाने की मांग की है।

कार्यकर्ताओं से संवाद कर समस्याओं का किया त्वरित समाधान

नप्र, भोपाल : कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने गुरूवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी उपस्थित रहे।

श्री काश्यप ने प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया। जिन जनसमस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जा सका, उन्हें संबंधित विभागों को निराकरण के लिए भेजा गया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उनकी जनसमस्याओं को समझा और उन्हें शीघ्र समाधान दिलाने का आश्वासन दिया।

छात्रों को दी साइबर सुरक्षा की जानकारी

नप्र, भोपाल : जहांगीराबाद क्षेत्र स्थित आनंद विद्या मंदिर विद्यालय में सेफ क्लिक 2.0 अभियान के तहत साइबर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित करना था। सेमिनार में विद्यालय के करीब 250 छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक एवं अन्य स्टाफ सदस्य भी शामिल हुए।

पुलिस अधिकारियों ने ऑनलाइन ठगी, फर्जी वेबसाइट और लिंक, ओटीपी एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने के खतरे, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग और साइबर फ्रॉड से बचने के प्रभावी उपायों की विस्तार से जानकारी दी।

दस लेन सड़क के लिए हटाया अतिक्रमण अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में प्रस्तावित 10 लेन सड़क परियोजना के लिए प्रशासन ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम बिलखिरिया कलां में सड़क अधिग्रहण की जद में आ रहे करीब 12 पक्के निर्माणों को जेसीबी की मदद से हटाया। कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए थे।

हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि सड़क परियोजना में बाधा बन रहे निर्माणों को हटाना आवश्यक था, ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई पूरी की। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क विकास कार्य में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसी दौरान हुजूर अनुभाग के बरखेड़ा नाथू, कलखेड़ा और बिलखिरिया क्षेत्रों में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ

भी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने इन कॉलोनियों में बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवॉल और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। संबंधित कॉलोनाइजरों को भविष्य में बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी गई।

एसडीएम ने बताया कि पिछले 10 दिनों में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह पांचवीं बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

आईईएचई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बीच समझौता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान (आईईएचई), भोपाल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के बीच गुरुवार को शैक्षणिक एवं शोध सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के तहत रिसर्च स्कॉलर्स और फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त शोध परियोजनाएं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और पेटेंट पर कार्य किया जाएगा। इससे दोनों संस्थानों के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर आईईएचई ने अपनी शैक्षणिक एवं शोध उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण भी किया। एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दोनों संस्थान संयुक्त मॉनिटरिंग टीम का गठन करेंगे।

भोपाल-गौहरगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी , सफर होगा आसान

नप्र, भोपाल : भोपाल से गौहरगंज और औबेदुल्लागंज की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) ने इसके लिए 13.50 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार कर ली है। निर्माण कार्य मानसून के दौरान ही शुरू होगा और सीमेंट-कंक्रीट (सीसी) तकनीक से सड़क को अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

यह मार्ग भोपाल को नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल और जबलपुर की दिशा से जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग है। प्रतिदिन इस सड़क से करीब 40 हजार से 60 हजार लोग तथा 15 से 25 हजार छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े भारी वाहनों का आवागमन भी इसी मार्ग से होता है, जिससे सड़क पर लगातार दबाव बना रहता है। लंबे समय से इस हिस्से के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। परियोजना के तहत सड़क के दोनों किनारों का विस्तार कर मार्ग को अधिक चौड़ा बनाया जाएगा। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और जाम की समस्या में कमी आएगी। गड्ढामुक्त और मजबूत सड़क बनने से वाहन चालकों का समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी।

एक ट्रैक पर आमने-सामने आईं दो मेट्रो, सिग्नलिंग परीक्षण शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम की जांच के तहत गुरुवार को पहली बार एक ही ट्रैक पर दो मेट्रो ट्रेनों का परीक्षण किया गया। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी (सीएमआरएस) की टीम ने रानी कमलापति स्टेशन से एमपी नगर स्टेशन के बीच करीब 30 मिनट तक विभिन्न तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया। इस दौरान दो अलग-अलग टीमों ने अलग-अलग मेट्रो ट्रेनों में सवार होकर सिग्नलिंग व्यवस्था, ब्रेकिंग सिस्टम और सुरक्षा मानकों की जांच की। अधिकारियों के अनुसार यह परीक्षण यह परखने के लिए

किया गया कि एक ही ट्रैक पर आमने-सामने आने की स्थिति में सिग्नलिंग सिस्टम किस तरह कार्य करता है। निरीक्षण के दौरान ट्रेनों की गति, अचानक ब्रेक लगने की स्थिति और अन्य सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया गया। यह प्रक्रिया शाम तक जारी रही। सीएमआरएस की रिपोर्ट मिलने के बाद सिग्नलिंग सिस्टम को नियमित रूप से चालू किया जाएगा। इसके बाद मेट्रो का नया परिचालन शेड्यूल और ट्रेनों की समय-सारिणी जारी की जाएगी।

राज्य स्तरीय कार्यशाला

नप्र, भोपाल : आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने गुरुवार को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। पलाश रेसीडेंसी में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नई दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने योजना के संचालन, छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया, मॉनिटरिंग तथा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन और नवीनीकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला का शुभारंभ स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ सलाहकार राघवेंद्र खरे, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के उपसंचालक डॉ. मुकेश शर्मा तथा राज्य शिक्षा केंद्र के संयुक्त संचालक प्राचीश जैन ने किया।

श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि, पंचम जिला न्यायाधीश, भोपाल, म.प्र.

(आदेश 5 का नियम 20)

जावक क्रं. 659 दिनांक 24.06.2026

समर्थ बाथम.........**आवेदक**........**विरूद्ध**......

कीर्ति बाथम एवं सर्वसाधारण....**अनावेदकगण**

प्रेषिति-आवेदक समर्थ बाथम पिता धर्मेन्द्र बाथम, द्वारा माता नेहा बाथम, निवासी-म. न. 143, फेस-3, शिवलोक कॉलोनी, आनन्द नगर, तहसील हुजूर जिला भोपाल, म.प्र. ने अनावेदक सर्वसाधारण के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक आर.सी.ए. 28/2025 संस्थित किया है। अनावेदक इस न्यायालय में तारीख 14.07.2026 को दिन में आवेदन का उत्तर देने के लिए उपसंजात / हाजिर होने के लिए समन किया जाता है। अनावेदक न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन ऐसी सब दस्तावेजों जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा आधारित हो और यदि आप किसी अन्य दस्तावेजों पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हों या न हो, अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।अनावेदक को सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थता से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज ता. 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर लगाकर दिया गया। **नोटः**- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि
पंचम जिला न्यायाधीश, भोपाल

708

जाहिर सूचना

संस्था पूर्णोदय ट्रेनिंग सेंटर, पता-पूर्णोदय ट्रेनिंग सेंटर, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल पंजीयन क्र. 8786 दिनांक 19.02.1980 द्वारा अपनी भूमि ग्राम हताईखेडा, प.ह.नं. 15 रा.नि.मं. 02, तहसील तहसील हुजुर जिला भोपाल खसरा क्र. 125 रकबा 1.48 एकड, 127 रकबा 0.37 एकड, 130/छ रकबा 1.65 एकड एवं 204/125/1 रकबा 2.64 एकड कुल रकबा 6.14 एकड विक्रय की गई है। उक्त भूमि विक्रय हेतु किसी को कोई आपत्ति हो तो वह कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें, भोपाल मध्यप्रदेश भोपाल खण्ड 'घ' प्रथम तल विन्ध्याचल भवन, भोपाल के समक्ष प्रकाशन तिथि से 10 दिवस के भतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

सचिव
POORNODAYA TRAINING CENTRE
P.B. No. 6, Patel Nagar, Bhopal - 462 022 (M.P.) INDIA

707

दस्तावेज खोने के संबंध में जाहिर सूचना

मैं, अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि, श्री चंद्र मोहन जौहरी आत्मज स्व. श्री रामनारायण जौहरी के द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति भूमि खसरा क्रमांक 280/2 रकबा 2.715 हेक्टयर, स्थित ग्राम लाम्बाखेडा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल एवं अपनी अन्य के संबंध में दिनांक 28.12.2013 को भोपाल में एक वसीयत निष्पादित की गई थी। उक्त वसीयतनामा कहीं खो गया है, जो कि बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रही है। उक्त दस्तावेज का किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई दुरुपयोग किया जाता है तो उसके परिणाम के लिये वैधानिक रूप से वही उत्तरदायी होगा। यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यक्ति, वारिस, उत्तराधिकारी, संस्था, बैंक, सोसायटी, हाउसिंग बोर्ड, म.प्र. शासन, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय निकाय का अनुबंध, स्वत्व, आधिपत्य हित, ऋण, बंधक (साम्यिक) भार, विलयन अथवा अन्य किसी भी प्रकार का विवाद हो तो, वह अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजों के साथ इस सूचना पत्र प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि के अन्दर मुझे, मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरा पक्षकार उपरोक्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवाने के पश्चात् नामांतरण अपने पक्ष में करवाने को स्वतंत्र होगा।

पुलकित सांघी,एडवोकेट
सांघी लॉ चेम्बर
67, जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल
मो. 9826019123

706

मूल दस्तावेज गुम होने की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री नासिर अहमद एवं उनके भाई श्री जावेद अहमद सिददीकी आ. श्री स्व. मोहम्मद आफताब अहमद सिददीकी, निवासी-भवन क्र.-02, (22x55) पंचशील नगर, भोपाल के भोपाल विकास प्राधिकरण पंचशील नगर योजना में स्थित भवन क्र.-02, (22x55) जिला भोपाल के मूल लीज डीड (रजिस्ट्री दस्तावेज) हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन नम्बर ए-1, ग्रंथ नम्बर 1939 सीरियल नम्बर-1756 पंजीकरण दिनांक 17/08/1977, पक्षकार मोहम्मद आफताब अहमद सिददीकी है। उक्त पंजीवद्व दस्तावेज, मेरे पक्षकार से आते जाते समय कहीं मिस (गुम) हो गया है, अनेक प्रयत्नों के उपरांत भी मिल नहीं सका है, जिसकी गुम सूचना थाना टी.टी. नगर, भोपाल में दे दी गई है, उक्त दस्तावेज का मेरे पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है, अगर ऐसा पाया जाता है तो संपूर्ण जवावदारी पक्षकार की होगी। यदि उक्त मूल दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, तो कृपया पर सूचित कर वापस करने का कष्ट करें।

मयंक सिंह पवार अधिवक्ता
कार्यालय : ई 5/66, अरेरा कालोनी भोपाल, मोबा. नं. 9098543650

705

कार्यालय प.ह.नं.-73 मुख्यालय-सेमरी बाज्याफत रा.नि.मं- 07 मुगालिया छाप तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र. क्रं. 0100/अ-12/2026-27
ग्राम का नाम-खारपा
प.ह.नं.- 73 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

सूचना-पत्र

प्रति, 1. ओ.डी. जोसेफ पिता जे.जे. देवसिया नि. बी-6, फॉच्यूर्यन प्राईड त्रिलंगा भोपाल (म.प्र.)। 2. थॉमस एन. जार्ज आत्मज श्री जॉर्ज एन. बाबू अंटोनी पिता अंटोनी निवासी-बरखेड़ी, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.)। 3. फूल सिंह पिता खन्नाराम नि. ग्राम खारपा तहसील हुजूर जिला भोपाल। 4. पूजा परमार पत्नी शैलेन्द्र परमार नि. म.नं 38 कम्फर्ट हेरिटेज टनाटन ढाबा के पास अयोध्या बायपास भोपाल (म.प्र.)। 5. सपना मेहरोत्रो पत्नी समीर मेहरोत्रो नि. ई 19/45 नजदीक जीटीबी कॉम्पलेक्स टी.टी. नगर हुजूर भोपाल। 6. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार। **एतद द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदक थॉमस एन. जार्ज आत्मज श्री जॉर्ज एन.ओ. एवं श्रीमती शैली थॉमस पत्नी श्री थॉमस उन जार्न निवासी जी 11/1 66 लाईन 23 वी बटालियन भदभदा, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा ग्राम खारपा प.ह.नं- 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 169/2/2, 170 रकबा क्रमशः 0.226 हे. 0.170 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 30/06/2026 को समय सुबह 11:00 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। वाद प्रस्तुत आपति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। **नोट**- अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

पटवारी, प.ह.नं.-73रा.नि.मं- 07 मुगालिया छाप तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

704

कार्यालय प.ह.नं.-73 मुख्यालय-सेमरी बाज्याफत रा.नि.मं- 07 मुगालिया छाप तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

रा.प्र. क्रं. 0104/अ-12/2026-27
ग्राम का नाम-खारपा
प.ह.नं.- 73 तहसील हुजूर जिला- भोपाल

सूचना-पत्र

प्रति, 1. जमनाप्रसाद पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम खारपा तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.)। 2. थॉमस एन. जार्ज आत्मज श्री जॉर्ज एन.ओ. एवं श्रीमती शैली थॉमस पत्नी श्री थॉमस उन जार्न नि. जी 11/1 66 लाईन 23 वीं बटालियन भदभदा, जिला भोपाल (म.प्र.)। 3. ओ.डी. जोसेफ पिता जे.जे. देवसिया नि. बी-6, फॉच्यूर्यन प्राईड त्रिलंगा भोपाल (म.प्र.)। 4. फूल सिंह पिता खन्नाराम निवासी ग्राम खारपा तहसील हुजूर जिला भोपाल। 7. पूजा परमार पत्नी शैलेन्द्र परमार नि. म.नं 38 कम्फर्ट हेरिटेज टनाटन ढाबा के पास अयोध्या बायपास भोपाल (म.प्र.)। 5. अमित गुप्ता पुत्र श्री हीरालाल गुप्ता निवासी 54ए/112 माता मंदिर साउथ टी टी नगर भोपाल (म.प्र.)। 6. समस्त मेढिया कृषक एवं ग्राम चौकीदार। **एतद द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदक थॉमस एन. जार्ज आत्मज श्री जॉर्ज एन. नि. आईई. एस. के सामने बेरखेड़ी भोपाल एवं बाबू अंटोनी पिता अंटोनी नि. सेंट मेरिस आयर सेकेण्डरी स्कूल श्यामपुर रोड सीहोर (म.प्र.) द्वारा ग्राम खारपा प.ह.नं- 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा नंबर 190/2 रकबा 0. 2023 हे. भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 30/06/2026 को समय दोपहर 12:00 बजे से स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमांकन से कोई आपति हो तो, नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपति विचार योग्य नहीं होगी। आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। **नोट**- अपरिहार्य कार्य की वजय से तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

पटवारी, प.ह.नं.-73रा.नि.मं- 07 मुगालिया छाप तहसील- हुजूर जिला- भोपाल (म.प्र.)

703

कार्यालय संपदा अधिकारी म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो.वि.मं., प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

आम सूचना

अयोध्या नगर फेस-5 पार्ट-2 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भोपाल में भूखण्ड/भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस. 209 मण्डल द्वारा श्रीमती संगीता पवार पत्नी श्री सुदामा पवार एवं श्री सुदामा पवार आत्मज श्री तेजीलाल पवार के संयुक्त नाम पर आवंटित किया गया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 29/07/2015 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, परिचय पत्र, शपथ-पत्र, संयुक्त शपथ-पत्र एवं मण्डल प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करते हुए उक्त संपत्ति श्री राजेश प्रजापति आत्मज श्री मुरारी लाल प्रजापति एवं श्रीमती आरती प्रजापति पत्नी श्री राजेश प्रजापति के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है एवं उप पंजीयक कार्यालय द्वारा उक्त संपत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 09/02/2021 को क्रेता के पक्ष में दस्तावेज पंजीकृत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर उक्त संपत्ति श्री राजेश प्रजापति आत्मज श्री मुरारी लाल प्रजापति एवं श्रीमती आरती प्रजापति पत्नी श्री राजेश प्रजापति के संयुक्त नाम पर हस्तान्तरण का प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन है। उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी /या किसी संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप से मय सबूत के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, समयावधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

संपदा अधिकारी, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधो. वि.मं., प्रक्षेत्र-2, अयोध्या नगर, भोपाल

702

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

आरसीएस ए/605/2026
इंशा असलम बनाम नगर निगम भोपाल
NEXT DATE: 05-08-2026

प्रेषिती-सर्वसाधारण पता-भोपाल एम पी। **यह कि प्रार्थी** इंशा असलम ने आपके विरुद्ध आरसीएस ए/605/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 17-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें- 1.** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

जयदीप मौर्य , न्यायाधीश
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

701